




फर्द अहकाम
नियम-26

बि.ई. / खारिज 21/07/23

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर

देवीलाल, शंकरलाल बनाम सुरेन्द्र सहारण

किस्म मुकदमा धारा 183 बी प्रकरण संख्या 04 वर्ष 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
19.07.2023	<p>आज यह अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलान्त शंकरलाल पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी 18 जे.एस.एन. द्वारा उपखण्डाधिकारी नोहर के समक्ष दिनांक 04.07.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपखण्डाधिकारी द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को धारा 183 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 183 बी दायर रजिस्टर किया जावे।</p> <p>हल्का पटवारी से अर्जीदावा की रिपोर्ट एवं गैरसायल सुरेन्द्र सहारण को तलब बाबत नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.07.2023 को पेश है।</p> <p>21/07/2023 पत्रावली आर्जीगन द्वारा अर्जिय पर पेश की गई पेशी में श्री जी. आर्जीगन देवीलाल, शंकरलाल सिंह माधनसिंह जाति मेघवाल निं 18555 नं.द्वारा अर्जिय पर पेश की अर्जिय बि.ई. (बी.ई. पानि) अदालत दिनांक 21/07/23 की में निर्देश लिखित में निर्देश किया कि परचाली के मध्य राजीनाम दी प्रमाण है इन अर्जिय आर्जीगन उम्मे अर्जिय को जारी नहीं परचाली माहल है अर्जिय की दली नदर पर जारी बि.ई. रपकत किया जावे आर्जीगन द्वारा पेश अर्जिय पर एवं परचाली का मधनसिंह किन्ना जाकर नभाम हित में आर्जिय पर अर्जिय किन्ना जाकर परचाली रपी हल पर पारि बि.ई. खारिज की जाती है परचाली को हल शुभार नम्बर 21 एम है। निर्णय अदालत दिनांक 21/07/2023 में सुनाया गया।</p>	<p>11091-48 19/7/23 2</p>  <p>① आर्जी शंकरलाल पहचानकर्ता</p>  <p>② आर्जी देवीलाल पहचानकर्ता</p> <p>27/7/23</p> <p>③ आर्जी सुरेन्द्र सहारण पहचानकर्ता</p> 

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर